प्रेस नोट दिनाँक-13.07.2021

(1). आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परीक्षेत्र बांदा श्री के सत्यानारायाणा द्वारा पुलिस कार्यालय में सलामी ली गयी तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में महोदय द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्देश निर्गत किये गयेः-

1. किसी भी प्रकार की घटना होने की सूचना क्षेत्राधिकारी स्वयं तत्काल मुझे बताएं तथा ग्रुप में अवश्य डालें।
2. अगर कोई आपस में समस्या उत्पन्न होती है तो उसके संबंध में आपस में चर्चा करें।
3. प्रत्येक शनिवार को समस्त क्षेत्राधिकारी अपने अपने सर्किल के थानों के विवेचको का अर्दली रुम करें।
4. आगंतुकों की बात सुने तथा उनकी समस्या का निस्तारण कराएं।
5. अपने सर्किल के थानों पर यह भी देखें कि कितने व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए हैं तथा उनकी समस्या का क्या निस्तारण हुआ है, इसी प्रकार महिला हेल्पलाइन को भी क्रॉस चेक करें।
6. जमीन संबंधित प्रकरणों में विशेष रुप से थाना प्रभारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर अपने क्षेत्राधिकारी को भेजें जिससे राजस्व की टीम गठित कर समस्या का निदान कराएं।
7. सभी क्षेत्राधिकारी थानों का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें।
8. थानों पर विभिन्न प्रकार के खड़े वाहनों के निस्तारण के लिए अभियान चलाएं।
9. अपराधिक इतिहास रजिस्टर को अल्फाबेट्स बनाकर अद्यवधिक करवाएं।
10. टॉप टेन सक्रिय अपराधियों की श्रेणी में उन्हीं को रखें जो बड़े अपराध करते हो, छोटे-मोटे अपराध करने वाले अपराधियों को टॉप टेन/सक्रिय अपराधियों में ना रखें ।
11. हर थाने पर एक माह रजिस्टर बनवाएं जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं अंकित हों।
12. शराब की पैकारी करवाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करें।
13. वर्ष 2020 की लंबित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु सख्त निर्देश दिए।
14. प्रारंभिक जांच एवं जांच प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अल्प समय में करवाएं।

इस गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव, स्टेनो श्री कमलेश कुमार राव, वाचक श्री शिवबदन सिंह, प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे।

(2). आज दिनांक 13.07.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के0 सत्यनारायाणा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में थाना बहिलपुरवा का निरीक्षण किया गया। थाना निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये-

(1). सर्वप्रथम गार्द द्वारा पुलिस महानिरीक्षक महोदय को सलामी दी गयी।

(2). महोदय द्वारा थाना परिसर में भ्रमण कर साफ-सफाई देखी गयी, साफ-सफाई संतोषजनक पायी गयी।

(3). थाना परिसर में खड़े मुकदमाती, लावारिश, सीज, एम0वी0 एक्ट वाहनों के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये एवं मुकदमाती वाहन निस्तारण की प्रक्रिया प्रभारी निरीक्षक से पूछी गयी।

(4). महोदय द्वारा भोजनालय का निरीक्षण किया साफ-सफाई उच्च कोटि की पायी गयी।

(5). मालखाना निरीक्षण के दौरान सरकारी सम्पत्ति का सत्यापन, मालों का सत्यापन किया गया। निष्प्रयोज्य सामान को कन्डम कर पुलिस लाइन स्टोर में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(6). थाना कार्यालय निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा रजिस्टर नं0 4, रजिस्टर नं0 8, जांच एनसीआर रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, काजलिस्ट, हिस्ट्रीशीटर रजिस्टरों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। महोदय द्वारा क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट को चेक किया गया।

(7).महोदय द्वारा थाना स्तर पर लम्बित विवचनाओं की समीक्षा की गयी एवं लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

(8). गौरी गैंग को पकड़ने के लिये लगातार काम्बिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रकाश पाण्डेय, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा, सीए बाबू पुलिस महानिरीक्षक, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिंह, स्टेनो श्री कमलेश कुमार राव एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजोल नागर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोविन्द तिवारी पुत्र चुनकूराम निवासी परसौंजा थाना पहाड़ी को 1 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा करातूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि श्री राजोल नागर थाना पहाड़ी
2. आरक्षी जलील अहमद

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 15 लीटर कच्ची व 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त गब्बर सिंह पुत्र मुन्नीलाल निवासी नांदी को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गय। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार चौकी प्रभारी जिलाकारागार
2. आरक्षी धीरेन्द्र कुमार

(ख). उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामसिया पुत्र सुरेश निषाद निवासी चिल्ली राकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री रवि सिंह
3. आरक्षी वेद प्रकाश
4. महिला आरक्षी रितु नायक

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 12.07.2021 एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम डोडा माफी/ग्राम बड़ा कोलान में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा मानिकपुर कस्बा व बाजार, रेलवे स्टेशन में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे

स्टेशन व कस्बा बरगढ़ में तथा एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम रैपुरा में भ्रमण किया गया भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।